A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

[illegible]न अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
182 / प्रा0पत्र / 17	13.04.2017	26.10.2021

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
–प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामगोपाल पुत्र श्री देवीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।

1 / 1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।

1 / 1 / 1. श्री कौशल कुमार गौतम पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 1 / 2. श्रीमती कलावती बाई पत्नी श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 1 / 3. श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 2. श्री कृष्णमुरारी पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 3. श्रीमती पाना बाई बेवा श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 4. श्रीमती गायत्री बाई पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 5. श्रीमती ललिता बाई पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।

1 / 5 / 1. श्री दीपक पुत्र श्रीमती ललिता बाई जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 5 / 2. श्री चन्द्रपकाश पुत्र श्रीमती ललिता बाई जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 5 / 3. श्रीमती आरती बाई पुत्री श्रीमती ललिता बाई जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 6. श्रीमती कृष्णा बाई पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 7. श्रीमती दुर्गेश बाई पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1 / 8. श्रीमती सुनिता बाई पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

A6/2

9\. श्रीमती विष्णु बाई पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1/10\. श्रीमती गिरिजा बाई पुत्री श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—पेरोकार सरकार

अप्रार्थी संख्या 1/3 की ओर से—श्री शम्भू दयाल शर्मा एड0

अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 1/4 लगायत 1/10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी मृतक श्री रामगोपाल पुत्र श्री देवीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 362 रकबा 10 बिस्वा, 380 रकबा 1 बीघा, 408 रकबा 0.5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1.15 बीघा वाके ग्राम भवानीपुरा आवंटन आदेश दिनांक 11.12.1978 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1/2, 1/1/3 एवं 1/4 लगायत 1/10 के विरूद्ध दिनांक 21.09.2021 को तथा अप्रार्थी संख्या 1/1/1 बवक्त बहस दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

राजकीय अभिभाषक बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी रामगोपाल (मृतक) को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 362 रकबा 10 बिस्वा, 380 रकबा 1 बीघा, 408 रकबा 0.5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1.15 बीघा वाके ग्राम भवानीपुरा का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 11.12.1978 को किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का एवं आवंटी के कायम मुकामान का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। आवंटी मृतक रामगोपाल द्वारा उक्त आवंटित भूमि को दिनांक 10.05.1981 अपंजीकृत बेचाननामे के आधार पर अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया गया। आवंटी राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं जिसे भूमि बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 11.12.1978 को खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी रामगोपाल (मृतक) को आवंटन की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया हैं। अप्रार्थी रामगोपाल एवं उनकी मृत्यु के बाद इनके कामय मुकामान आवंटनशुद्धा भूमि खसरा संख्या 362 रकबा 10 बिस्वा, 380 रकबा 1 बीघा, 408 रकबा 0.5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1.15 बीघा पर आवंटन से लेकर आज तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 43 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं जो अवधि

अति० जिला कलक्टर

चलने योग्य नहीं हैं। आवंटी वर्तमान में गैर–खातेदार कृषक हैं जिसे आज ...दारी अधिकार नहीं दिये गये हैं। आवंटन नियमों में 10 वर्ष पश्चात खातेदारी ...र प्रदत्त करने के निर्देश हैं। वर्तमान में संशोधित नियमों के अनुसार 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार देने की अवधारणा की गई हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ बेचाननामे की प्रति प्रस्तुत की हैं जो बनावटी हैं तथा बेचान का तथ्य साक्ष्य से निर्णित होगा। अतः तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 11.12.1978 यथावत रखा जावें। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2018 पेज 479, 492, आरआरडी 2017 पेज 310, आरआरटी 2008 पेज 610, आरआरडी 1992 पेज 267, आरआरटी 2013 पेज 295, डीएनजे 2016 पेज 73, आरआरडी 2007 पेज 733, आरबीजे 2002 पेज 566, आरआरडी 1986 पेज 369, आरआरडी 1987 पेज 422 की नजीरें प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी रामगोपाल (मृतक) को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 11.12.1978 को आवंटन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य व्यक्त किये गये हैं कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2071 का अवलोकन किया गया जिसमें खसरा संख्या 362, 408 की भूमि खरीफ व रबी में पड़त रही हैं तथा खसरा संख्या 380 की भूमि में रबी खरीफ की फसल अंकित हैं। इसके अलावा अन्य संवतों की खसरा गिरदावरी प्रार्थी अथवा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटित रकबे पर कौनसे संवत में कौनसी फसल की गई हैं या भूमि पड़त रही हैं। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.12.2015 से यह जाहिर आया कि आवंटित कृषि भूमि खसरा संख्या 362, 380, 408 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर हनुमान आ0 रामनारायण कौम धाकड का कब्जाकाश्त हैं। बेचान का हस्तलिखित कागज भी रिपोर्ट के संलग्न हैं। पत्रावली में प्रस्तुत हस्तलिखित बेचान से प्रकट होता हैं कि आवंटी रामगोपाल (मृतक) द्वारा उक्त भूमि को बालजी आ0 रामनारायण कौम धाकड निवासी भवानीपुरा को दिनांक 10.05.1981 को बेचान कर दिया गया हैं। उक्त बेचान आवंटन के 3 वर्ष पश्चात किया गया हैं। आवंटी रामगोपाल (मृतक) वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं। आवंटी रामगोपाल (मृतक) द्वारा उक्त गैर खातेदारी भूमि को बेचने के कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त तथ्यों से यह प्रकट होता हैं कि वर्ष 1981 से आवंटी एवं उसके कायम मुकामान का भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। आवंटन नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि पर से कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष भाग को दूसरे वर्ष में। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को आवंटन के 3 वर्ष पश्चात ही अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिये जाने से तथा कब्जाकाश्त नहीं होने के कारण ही आवंटी व उसके कायम मुकामान को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना प्रथमदृष्ट्या ज्ञात होता हैं। अतः तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर उक्त विवादित आवंटित आदेश को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 11.12.1978 निरस्त किया जाता हैं तथा विवादित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज किया

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A6/4

...सल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ ...त्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

...रा आज दिनांक 26.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिo जिला कलक्टर,
बूंदी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बून्दी (राज.)